बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

आदेश

संख्या-11/आ०4-1018/2026- 1100 पटना, दिनांक- 29/5/26

अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, मुंगेर के पत्रांक-299, दिनांक-28.05.2026 द्वारा श्री मनोरंजन कुमार, कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, शेखपुरा, प्रशाखा-अरियरी के विरूद्ध योजनाओं के नियमित परिचालन एवं रख-रखाव के कार्यो में शिथिलता बरतने के दृष्टिगत अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी है। अधीक्षण अभियंता, मुंगेर द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदनानुसार श्रीमती पिंकी देवी, ग्राम पंचायत समिति सदस्य द्वारा दूरभाष के माध्यम से लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, शेखपुरा के प्रखंड-अरियरी पंचायत-विमान, वार्ड सं0-03 महसौना में निर्मित जलापूर्ति योजना के वितरण प्रणाली में 12-15 जगहों पर लिकेज आदि की समस्या रहने के कारण योजना से अच्छादित शिकायतकर्त्ता एवं अन्य स्थानीय ग्रामीणों के घरों में लंबी अवधि से जलापूर्ति नहीं होने की शिकायत की गयी है। श्रीमती पिंकी देवी, ग्राम पंचायत समिति सदस्य द्वारा अधीक्षण अभियंता, मुंगेर अंचल को यह भी अवगत कराया गया है कि योजना के प्रभारी कनीय अभियंता श्री मनोरंजन कुमार द्वारा विगत दो माह से फोन भी रिसीव नहीं किया जा रहा है और यदि वे यदा-कदा फोन रिसीव भी कर लेते है तो उनके द्वारा शिकायतों के निष्पादन के दिशा में प्रयास न कर टाल-मटोल किया जाता है। श्री कुमार द्वारा उक्त शिकायत के संज्ञान में आने पर भी उसके समाधान की दिशा में प्रयास नहीं किये जाने से स्पष्ट है कि वे योजना से संबंधित लाभुकों को स्वच्छ जलापूर्ति आपूरित किये जाने के लक्ष्यों के प्रति संवेदनशील नहीं है।

02. दिनांक-29.05.2026 को CGRC Portal से प्राप्त लंबित शिकायतों की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, शेखपुरा के प्रशाखा-अरियरी अन्तर्गत कुल 134 अदद शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसमें 111 अदद शिकायतों का निष्पादन किया गया है एवं शेष 23 अदद शिकायतें अभी भी लंबित है। पूर्व से निष्पादित शिकायतों में से 03 अदद शिकायतों को Reopen किया गया है। इसके अतिरिक्त 92 अदद शिकायतों का निष्पादन विभाग द्वारा निर्धारित समय-सीमा के पश्चात किया गया है।

03. श्री मनोरंजन कुमार, कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, शेखपुरा, प्रशाखा-अरियरी के स्तर से CGRC Portal पर कुल 13 अदद शिकायतों का निष्पादन सात दिनों के बाद, 02 अदद शिकायतों का निष्पादन पन्द्रह दिनों के बाद एवं 02 शिकायतों को 30 दिनों से ज्यादा अवधि के बाद निष्पादित किया गया है। श्री कुमार द्वारा शिकायतों का ससमय एवं त्वरित निष्पादन नहीं किये जाने से सरकार के सात निश्चय योजना में से एक "हर घर नल का जल" योजना के

लक्ष्यों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। श्री कुमार के स्तर से शिथिलता बरतने के कारण 536 कनीय अभियंताओं की विभागीय रैंकिंग में उनका स्थान 425वाँ है।

04. CGRC Portal पर अत्यधिक संख्या में शिकायतें लंबित रहने, शिकायतों का त्वरित निष्पादन नहीं किये जाने एवं जन प्रतिनिधि द्वारा लगातार की जा रही शिकायतों का समाधान न कर गैर जिम्मेदाराना व्यवहार प्रदर्शित किया जा रहा है। उक्त से स्पष्ट है कि श्री कुमार द्वारा विभागीय संकल्पों में वर्णित प्रावधानानुसार जलापूर्त्ति योजनाओं का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण नहीं करते हुए संचालित जलापूर्ति योजनाओं के क्रियान्वयन, परिचालन एवं रख-रखाव में घोर लापरवाही बरती जा रही है। Portal पर पूर्व से निष्पादित शिकायतों के Reopen होने से यह स्पष्ट है कि संबंधित शिकायतों का निष्पादन किये बिना ही भ्रामक प्रतिवेदन अपलोड कर विभाग को दिग्भ्रमित करने के प्रयास किया जा रहा है। विदित हो कि विभाग द्वारा आयोजित समीक्षात्मक बैठकों में भी विभागीय SOP के तहत सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को लंबित शिकायतों का यथाशीघ्र निष्पादन कर Portal पर अपलोड करने का निदेश दिया गया है, परन्तु इसके बावजूद उनके क्रिया-कलाप में कोई सुधार नहीं आया है।

05. श्री कुमार का उपर्युक्त कृत्य एवं आचरण उनके कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एवं विभागीय आदेशों की अवहेलना का परिचायक तथा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-3(1)(i), 3(1)(ii) एवं 3(1)(iii) में वर्णित प्रावधानों के विपरीत है। उक्त प्रावधानों के उल्लंघन के लिए श्री कुमार प्रथम द्रष्टया दोषी हैं एवं बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1)(क) के तहत श्री कुमार को निलंबित किया जाना समीचीन प्रतीत होता है।

अतः वर्णित परिप्रेक्ष्य में श्री मनोरंजन कुमार, कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, शेखपुरा, प्रशाखा-अरियरी को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

06. निलंबन अवधि में श्री कुमार का मुख्यालय, अधीक्षण अभियंता का कार्यालय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, पूर्णियाँ रहेगा।

07. निलंबन के दौरान श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-10(1) के अन्तर्गत अनुमान्य जीवन-निर्वाह भत्ता देय होगा।

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(मु०)

ज्ञापांक–11/आ०4-1018/2026– 1100 पटना, दिनांक- 29/5/26

प्रतिलिपिः-कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, शेखपुरा/पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(मु०)

ज्ञापांक–11/आ०4-1018/2026– 1100 पटना, दिनांक- 29/5/26

प्रतिलिपिः-प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, भागलपुर प्रक्षेत्र/पूर्णिया प्रक्षेत्र/अधीक्षण अभियंता, मुंगेर/पूर्णियाँ/कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, शेखपुरा/प्रशाखा पदाधिकारी-02, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/श्री मनोरंजन कुमार, कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, शेखपुरा, प्रशाखा-अरियरी/विभागीय आई०टी० मैनेजर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(मु०)